DRAFT

(4)

# राजस्थान सरकार
## नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.18(13)नविवि/जयपुर/2016 जयपुर, दिनांक– 15 DEC 2017

## आदेश

एकीकृत भवन विनियम–2017 के विनियम 7.2 के तहत ऐसे भवन जिस बाबत इन विनियमों में मानदण्ड निर्धारित नही है, अथवा इन भवन विनियमों के प्रावधानों में कोई विसंगति है अथवा इन भवन विनियमों में संशोधन प्रस्तावित करने के लिए अथवा जनहित में इन विनियमों के किसी प्रावधानों में शिथिलता की अभिशंषा किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक एक्सपर्ट कमेटी का निम्नानुसार गठन किया जाता है:–

| | |
|---|---|
| अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग | – अध्यक्ष |
| मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान | – सदस्य |
| निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग | – सदस्य |
| सलाहकार (टी.पी.), नगरीय विकास विभाग | – सदस्य सचिव |

उपरोक्त एक्सपर्ट कमेटी द्वारा विनियम 7.2 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रेषित प्रकरणों पर विचार विर्मश कर आवश्यक अभिशंषा राज्य सरकार को प्रेषित की जावेगी एवं विनियम 7.3 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरणों की जॉच कर निर्णय लिया जावेगा।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–**

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय निकाय विभाग।
7. सलाहकार (नगर नियोजन), नगरीय विकास विभाग।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम